



# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)  
ऐरर पोर्ट रोड गोपाल, गोपाल-462033

१) 755-2678870

फॉकस नं ० ० ७५५-२७४२००६

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2161/

भोपाल, दिनांक २५/०६/२०१३

परि-

समस्त प्राचार्य/सचालक  
विश्वविद्यालय से सबद्ध इजीनियरिंग/फार्मेरी  
एम०री०ए०/आकिंटेक्चर महाविद्यालय  
मध्य प्रदेश।

विषय - संस्थानों में रेंगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से यद्यपि समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार अधिकार अधिकार आयोग जिला प्रशासन द्वारा दीर्घकाल बताये गये सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अगले किया जाने। यानि शायन, मानव अधिकार आयोग जिला प्रशासन द्वारा दीर्घकाल संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

यह सुनिश्चित करे कि इन सुझावों का सम्पूर्ण पालन हो एवं रेंगिंग के बीच में "जीय टॉलरेस" की नीति या संतुलित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन नियमों को सुनापाठों पर क्या वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से संतुलित बहाव का काट करे, ताकि छात्रों के बीच रेंगिंग जैसी गंभीर कुप्रसा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके। नहाविद्यालय = एवं रेंगिंग कमेटी-मम-मठन-पिल्या जावे एवं कमेटी के सादरणों के नाम उनके गोवाईल नम्बर सहित सूचना पटल पर दिया जावे जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रेंगिंग से नहाविद्यालय प्रशारान का आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच सेह सम्बन्ध एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करे जिससे कि वरिष्ठ छात्र रेंगिंग जैसी कुप्रसा में संलग्न न हो सके एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आवासन निरन्तर भी करे, तथा किसी भी अनेतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ व्यक्तिगत से अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। तथा ही अन्त महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की पदरथापना पर विचार कर कार्यवाही करने का काट करे।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रेंगिंग रोकने संकेत उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रधानों एवं बोर्डर्स के संघ में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करायें।

*१२६६१*

(डॉ० अनिल शर्मा)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2161/

भोपाल, दिनांक २५/०६/२०१३

प्रतिलिपि -

- 1 माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेपित।
- 2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शारान भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेपित।
- 3 सचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय रातपुढ़ा भाग चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेपित।
- 4 माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफीसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेपित।

*१२६६१*

(डॉ० अनिल शर्मा)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(गङ्गा प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

810 755-2678870

कमांड / स. गोपी वि. / अधिकारी छात्र कल्याण / 2013 / 2356

फेक्स नं० ०७५५-२७४२००६

મોપાલ, દિનાંક || / 07 / 2013

स्मरण पत्र

۱۰۳

समर्पित पाठ्यार्थी / संचालक  
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग / फार्मरी  
एवं डॉक्टोरेशन / आर्किटेक्चर महाविद्यालय  
भृत्य ।

**विषय :** — संस्थानों में ऐगिंग की रोकथाम हेतु।

四庫全書

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि, भारतीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताये गये सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अग्रल किया जावें। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को समय-समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

गह सुभेद्रित करे कि, इन रुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संबंध में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुभेद्रित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापटलों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कार्य करे, ताकि छात्रों के बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्वविद्यालय से प्राप्त रैगिंग रोकथाम के पोर्टर महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चर्चा करें। महाविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों के नाम उनके मोबाइल नम्बर सहित सूचना पटल पर चर्चा किया जावे। जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयों में कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्नेह सम्मेलन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें। जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संरथान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकस्मिक निरीक्षण भी करे। तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कडाई से अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। साथ ही अपने महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की पदरथापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आप लोगों ने निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासों एवं योजनाओं के सम्बंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करायें।

Ch. 11.2.13

(डॉ आनल गायल)

आधष्टाता छत्र कल्याण

## राजाव गाधो प्राद्योगिको विश्वविद्यालय भोपाल

क्रमांक / रा. गां. प्रौ. वि. / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / 2013/2357

भोपाल, दिनांक 11/07/2013

## प्रतिलिपि -

- 1 माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलाधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।  
2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।  
3 संचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय सतपुढ़ा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।  
4 माननीय कलपति जी के स्टाफ ऑफिसर की ओर माननीय कलपति जी के सूचनार्थ।

(डॉ अनिल गोयल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

## राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल

M/F

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मुख्य प्रबन्ध संकायीकी विभागिताएँ)  
प्रभारी पाठ्य शास्त्र विभागी नम्बर: 462033

फोन: 755-2678870

फॉकल नं: 0755-2742006

कलकत्ता रोड पर्स / अमेन्टल एवं कलाम / 2013/3/43

मात्रात्मक: 06/2013

दाखि

संस्कृत प्राचीन विभाग  
प्रौद्योगिकी विभाग में संबद्ध है।  
एवं लैटिन / आंग्रेजी विभाग  
का प्रदेश।

विषय - ज्ञानकारी की सम्पूर्णता ज्ञानकारी के साथ है।

महोदय

उपरोक्त विषयात्मक लेख है कि ज्ञानकारी की औद्योगिकी विभागिताएँ ने संबद्ध संस्कृत विभागों को फिरोजान दिया जाता है ऐसे वह अपने अधिकारी विभागित किए जा रहे छात्रावास की सम्पूर्ण ज्ञानकारी विभाग छिन्नकार यह जारी होने की विभाग से एक विभाग की अवधि के अन्तर आवश्यक रूप इस विभागिताएँ को दर्शाते हैं।

1. ज्ञानकारी का ज्ञानकारी विभाग में किया है तो अध्ययन नहीं ? यदि है तो ज्ञानकारी का इस शोषण एवं उसको शामिल हृत्याते।
2. ज्ञानकारी यदि विभाग का वाहर सम्पूर्णता किया जा रहा है तो उस अन्त ज्ञानकारी एवं दूसराप विभाग गृहस्थायी का जाम यदि अनुका विषयादित किया जा रहा उस उक्तकी भी ज्ञानकारी का जीवन हो।
3. ज्ञानकारी में छात्र - आंग्रेजी के बाहर अध्ययन उनकी सुन्दरता और उन विषयों की यह है जिनकी सम्मुणे ज्ञानकारी हो।
4. विभाग में सुखा व्यवस्था मुहैया कराई आ रही है यदि वह तो ज्ञानकारी में सही सुन्दरकी की ज्ञानकारी मध्य पहचान - पत्र के हो।
5. ज्ञानकारी की वेखरख हेतु किस व्यक्ति की अधिकृत किया जाय है उसको सम्मुणे ज्ञानकारी मध्य शोषण एवं दूसराप कामक योग्य हो।
6. आपकी विभाग द्वारा एप्टी शैगंग विभाग को गठन किया जाया है अध्ययन नहीं ? किया जाय है तो उनके सदरथों की ज्ञानकारी हो और यदि नहीं किया जाय है तो उपन्यास व्यवस्थाएँ हो।
7. रैमेश की रोकथाम हेतु विभाग या की गई कार्रवाई से अद्यतन करते।

नोट - स.व. 2013-14 हेतु रैमेश रोकथाम पास्टर विभागिताएँ इस अप्टी विभाग के आयोग-वालक विभाग से जाल कर अपनी विभाग की अधिकतम स्थानी एवं छात्रावास में आवश्यक रूप से विभाग करते।

  
(डॉ. अशोक राणजन)  
अधिकारी उपकारक रूपायण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भारत

# राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)  
ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033

फ़ाक्स ०० ०८५५-२६७८८७०

क्रमांक / रा. गा. प्रौ. वि. / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / २०१३ / २५८०

फ़ोन ०० ०८५५-२७४२००६  
भोपाल, दिनांक ८/०८/२०१३

## // सूचना //

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित सामरत महाविद्यालयों के संचालक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार ( पत्र क्र. /रा. गा. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण / २०१३ / २१६४ भोपाल, दिनांक २६/०७/२०१३, एवं पत्र क्र. /रा. गा. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण / २०१३ / २३५६ भोपाल, दिनांक ११/०७/२०१३ ) निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अधिकतम महाविद्यालयों ने सत्र २०१३-२०१४ हेतु एण्टीरैगिंग कमेटी का गठन नहीं किया है। अतः शीघ्र एण्टरैगिंग कमेटी का गठन कर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग में सूचित करें अन्यथा आपके महाविद्यालय के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।

८/८/१३

(डॉ. अगिल गोशल)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
भोपाल